न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा R.A.S

मुकदमा नम्बर:- 24/2012

उनवानी प्रकरण बमुख:
1- मुन्नालाल
2- नाहरसिंह
पुत्रगण इन्द्रासिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गढ़ी करीलपुर हालआबाद D-1047 गली नं. 23 भजनपुरा दिल्ली-53
------ वादीगण

बनाम

1- इन्द्रासिंह (फौत) पुत्र नेकसा उर्फ नेकराम
2- कुवरसेन उर्फ राजेन्द्र पुत्र इन्द्रासिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गढ़ी करीलपुर तहसील राजाखेड़ा हाल आबाद D-1020 गली नं. 23 भजनपुरा दिल्ली-53
3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा बहैसियत लैण्ड होल्डर
4- श्रीमती ऊषा पुत्री इन्द्रासिंह पत्नी भवसिंह जाति राजपूत निवासी D 824 गली नं. 20 भजनपुरा दिल्ली-53
5- शिवधारा पुत्री इन्द्रासिंह जाति राजपूत निवासी D-1047 गली नं. 23 भजनपुरा दिल्ली-53
6- सरोज पुत्री इन्द्रासिंह
7- पुष्पा पुत्री इन्द्रासिंह
जाति राजपूत निवासी D-1047 गली नं. 23 भजनपुरा दिल्ली-53
8- रामादेवी पुत्री नेकसा उर्फ नेकराम पत्नी रोशन सिंह जाति राजपूत निवासी गढ़ी करीलपुर हाल करीलपुर वार्ड नं. 1 राजाखेड़ा।
------ प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा बटवारा कायम दुरूस्ती इन्द्राजात मय स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:-
1- श्री अश्विनी कुमार जैन वकील वादीगण
2- श्री बिमल कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण
3- श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव वकील प्रतिवादी-8

निर्णय
दिनांक:- 8/4/2019

वादीगण द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 RT A

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमश...2

विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1व2 इन तथ्यो के साथ पेश किया कि विवादित
आराजी ख.नं. 2498 रकबा 19 बिस्वा, 2506 रकबा 0 बीघा 06 बिस्वा
2494 रकबा 0 बीघा, 2495 रकबा 0 बीघा 09 बिस्वा कुल
किता 4 कुल रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा स्थित ग्राम गढी करीलपुर
तहसील राजाखेड़ा वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त
हिन्दू परिवार की "अविभाज्य" कोपार्सनरी पैतृक सम्पत्ति है
प्रस्तुत शिजरा के अनुसार वादीगण के पूर्वज नेकस्या उर्फ नेकराम जो
उनके बाबा थे उनकी आराजी तन्हा खातेदारी व काश्त की आराजी थी। नेकस्या
के तीन पुत्र इन्द्रासिंह (प्रतिवादी सं. 1) जवाहरसिंह व बाबूलाल हुए।
इन्द्रासिंह के तीन पुत्र मुन्नालाल, कंवरसैन उर्फ राजेन्द्र एव नाहरसिंह
हुए। नेकस्या की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजी पर वादीगण एव
प्रतिवादीगण सं 1व2 ने मिताक्षरा कानून के तहत उक्त आराजी
पर संयुक्त रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये एव वादीगण
तब से संयुक्त कब्जा काश्त रहे है। इस आराजी मे वादीगण का
संयुक्त रूप से 1/2 है एव
हिस्सा 1/2 एव प्रतिवादी सं 1व2 का हिस्सा
इसी प्रकार से काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं 2 ने प्रतिवादी सं 1 को
अपने अनुचित दबाव मे ले रखा है तथा आराजी को बेचने पर
आमादा है एवं ऐसा करने की धमकी दी है कि अकेले ही इस आराजी
को अपने नाम कराकर बेच दूंगा। प्रतिवादी सं 1 ने भी ऐसी
धमकी दी है इसी कारण वादीगण ने स्वयं को 1/2 हिस्से खातेदार
काश्तकार घोषित करने एव आराजी का बटवारा कराने एव प्रतिवादीगण को
स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया।

वादपत्र के जवाब मे प्रतिवादीगण सं 1व2 की ओर से
वाद पत्र के कथनो का सामान्य रूप से इन्कार करते हुए कथन किया
गया कि वादीगण प्रतिवादीगण के पुत्र नही है, प्रतिवादी सं. 1 विवादित
आराजी का तन्हा खातेदार काश्तकार है। वादीगण को दावा करने
का कोई अधिकार नही है। खातेदारी अधिकार स्वामित्व की परिभाषा
मे नही आते है इसलिए हिन्दू Law के प्रावधान खातेदारी अधिकारों
पर लागू नही होते है। प्रतिवादी नं. 1 ही तन्हा विवादित आराजी का
खातेदार काश्तकार व काबिज है। इसलिए दावा खारिज किया जावे।

उभयपक्षो के अभिकथनो के आधार पर तनकीयात
कायम की गयी तथा दोनो पक्षो की साक्ष्य प्राप्त की जाकर
इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9/9/2004 को दोनो पक्षो की बहस
सुनने के उपरान्त निर्णय पारित किया जिसमे दावा वादीगण
डिक्री किया जाकर विवादित आराजी मे वादीगण सं 1व2 को
एव प्रतिवादी सं 1व2 को बहिस्सा बराबर का अर्थात प्रत्येक 1/4-1/4

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

जिसके का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा प्रतिवादी सं 1व2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया।

उक्त निर्णय दिनांक 9/9/2004 के विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 इन्द्राशिह ने अपील प्रस्तुत की जो अपील सं 199/2004 इन्द्राशिह बनाम मुन्नालाल के नाम से थी। इस अपील में मा. न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर द्वारा अपने द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-5-2005 में अपील अपीलांट को निरस्त करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 9/9/2004 को यथावत रखने के आदेश दिये।

मा० न्यायालय S.O & RAA भरतपुर के उक्त निर्णय दिनांक 17-5-2005 से भी अपीलान्ट इन्द्राशिह सन्तुष्ट नहीं हुए एवं उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में इन्द्राशिह बनाम मुन्नालाल अपील संख्या 2836/2005 दायर कर दी। इस अपील में इन्द्राशिह की पत्नी ऊषा एवं निषेधाज्ञ को भी पक्षकार बनाया गया था। इस अपील में मा० राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17-01-2012 से न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 9/9/2004 एवं मा RAA भरतपुर के निर्णय दिनांक 17-5-2005 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में इन्द्राशिह की पुत्रियों को पक्षकार बनाते हुए एवं उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुण अवगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे।

मा० राजस्व मण्डल राज० अजमेर से प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा न्यायालय में सभी पक्षों को तलब कर बुलाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राशिह की चार पुत्रियां हैं जो प्रकरण में पक्षकार बनाया गया जो कि प्रतिवादी सं 4 लगायत 7 हैं उनकी ओर से श्री विमल कुमार शर्मा एड० उपस्थित न्यायालय ओर जवाब दावा एवं वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27/8/12 को इन्द्राशिह की बहन व भेकसे पुत्री रामादेवी द्वारा प्रा.पत्र O1 R10 CPC न्यायालय में पेश कर प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर रामादेवी को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये। इसपर दिनांक 27-8-12 को संशोधित दावा भी पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमश — 4

गया। रामादेवी की ओर से दिनांक 8/5/13 को जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमे उसने वादपत्र के कथनो को सामान्य रूप से इन्कार किया हुए कथन किया है कि वह हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नेकसा की सम्पत्ति के विधि भाग की सह खातेदार एव हिस्सेदार है तथा काबिज काश्त है इसलिए उसने अपने जवाब मे स्वयं को विवादित आराजी मे 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने के लिए काउन्टरक्लेम भी पेश किया।

दौराने दावा ही प्रतिवादी सं. 1 श्री इन्द्रसिंह का देहान्त दिनांक 11-12-2013 को हो गया इसलिए वा पत्र 022 R-5 पेश होने पर उसके वारिसान वादीगण व प्रति स 2 एव 5 व 7 के पूर्व से रिकार्ड पर होने के कारण दिनांक 7/5/15 को इन्द्रसिंह के आगे फौत शब्द अंकित किया गया।

तदुपरान्त प्रकरण मे दिनांक 10/3/2016 को पुनः तनकी कायम की गयी जो निम्न है:-

1- आया विवादित आराजी में वादीगण एव प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी मे हिस्सा बराबर के खातेदार कृषक है एव विभाजन कराने के अधिकारी है। — — वादीगण

2- आया वादीगण प्रति स 5 व 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। — — वादीगण

3- आया प्रति स 8 नेकसा की पुत्री है तथा विवादित आराजी में 1/2 भाग की सहकाश्तकार काबिज है। तदनुसार घोषणा कराने की अधिकारी है। — — प्रतिवादी स 8

4- आया कि वाद पत्र वादीगण 06 R.5 तथा 04 R-3 CPC के अन्तर्गत दोषपूर्ण है। — — प्रतिवादी स 4,5,7

5- आया कि प्रति. स 8 रामादेवी के तीन भाई बाबूलाल, इन्द्रसिंह व जसवन्त है। — — प्रति स 4,5,7,

6- आया कि पूर्ववर्ती वाद स 104/91 उनवान बाबूलाल बनाम इन्द्रसिंह वगैरा मे न्यायालय के निर्णय दिनांक 10/9/92 से वि. आराजी इन्द्रसिंह के हिस्से मे व कब्जे मे आयी है। इस निर्णय से प्रति. स. 8 पाबन्द है। — — प्रति स 4,5,7

7- आया प्रति स 8 का वादकारण प्रति स 1 से 7 के विरुद्ध कानूनी रूप से पोषणीय है। — — प्रति स 4,5,7

8- आया प्रति सं. 8 का वादकारण सन 2013 मे उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

हुआ। इसका क्या कानूनी प्रभाव है।
— — प्रति स 4, 5, 7,

9- आया कि प्रतिवादी स 8 ने पर वाद वादीगणों के साथ मिली भगत कर प्रति स 4, 5, 7, को हानि पहुंचाने हेतु कपटपूर्ण पेश किया है। — — प्रतिवादी स 4, 5, 7,

10- आया कि प्रतिवादी स 6 सरोज वादीगण के पक्ष मे दिनांक 19-10-15 को राजीनामा कर गयी है। उसका — — वादीगण प्रकरण पर क्या प्रभाव है।

11- दादरसी।

साक्ष्य वादीगण मे दस्तावेजी साक्ष्य में, निर्वाचक पहचान पत्र प्रदर्श-1, माता के देहान्त का शोक सन्देश प्रदर्श-2, नामफरत व वंशावली प्रदर्श-3, शादी की फोटो का भोरा प्रदर्श 4, शादी का कार्ड प्रदर्श-5, मिजा प्रमाण पत्र प्रदर्श-6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2055-58 प्रदर्श-7, मिसिल बन्दोबस्त प्रदर्श-8 पेश की है। मौखिक साक्ष्य में बयान मुन्नालाल PW-1 वादीगण की ओर से रिलीज डीड सरोज पत्नी स्व॰ हरिसिंह वहक मुन्नालाल व नाहरसिंह पंजीकृत दिनांक 19-10-2015 भी पेश की है। तथा दिनांक 19/10/15 का राजीनामा भी प्रस्तुत किया है।

साक्ष्य प्रतिवादीगण मे नकल जमाबन्दी सं. 2038-41 निर्णय दिनांक 10-5-92 बाबूलाल व॰ स्व॰ हरिसिंह न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श D पेश किये हैं। तथा मौखिक साक्ष्य मे बयान पुष्पा देवी DW-1, बयान ऊषा देवी DW-2, बयान रमादेवी DW-3 कराये गये है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस मे वादपत्र के समस्त कथनों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रतिवादी सं 1 स्व॰ हरिसिंह फौत हो चुके है इसलिए उनकी मृत्यु के उपरान्त विवादित अराजी के वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 एवं 4 ल- 7 संयुक्त रूप से वारिसान्वतावर के खातेदार काश्तकार है। जिनमे प्रत्येक 1/7 हिस्से का खातेदार है। चूंकि प्रतिवादी स 6 सरोज ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष मे जरिये रिलीज डीड त्याग कर दिया है इसलिए वादीगण संयुक्त रूप से 3/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार उन्हे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कथन के समर्थन मे RBJ 2001 P 186 की कानूनी नजीर प्रस्तुत की।

वकील प्रतिवादी सं 4 ल- 7 द्वारा अपनी बहस मे अपने जवाब दावा के समस्त कथनों को दोहराया तथा कथन किया कि मुताहिर रिकार्ड से विवादित अराजी बटक होना भली भांति साबित होता है

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः- 6

तथा प्रतिवादी सं. 1 इन्द्राजसिंह की मृत्यु के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 एवं 4 ता 7 वहैसियत वारिसान के खातेदार काश्तकार उत्तराधिकार आदि नियम के तहत है तथा प्रत्येक 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। इन्द्राजसिंह की बहन प्रतिवादी सं. 8 रामादेवी का विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है क्योंकि उक्त आराजी इन्द्राजसिंह के न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाड़ी धौलपुर के निर्णय दिनांक 10-2-92 के द्वारा हुई है। बटवारा न्यायालय के पूर्व में ही हो चुका है। इस आराजी में रामादेवी कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी सं 2 एवं 4 ता 7 को वहैसियत प्रत्येक को 1/7 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा RRT 2012 (1) पृष्ठ 354, RRT 2012 (1) पृष्ठ 358, RRT 2014 (2) P 932 (Raj High Court), RRT 2011 (2) P 1419, RRT 2013 (1) पृष्ठ 93 की कानूनी नजीरें पेश की। साथ ही यह भी कहा कि रामादेवी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है इसलिए वह इस पर कोई अधिकार नहीं पा सकती है।

वहस विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 8 में अभिभाषक द्वारा अपने जवाब व काउन्टर क्लेम के कथनों को दोहराया तथा विवादित आराजी को उसके पिता ने खरीदे की आराजी बताते हुए इसमें अपना 1/2 हिस्सा होना बताया तथा उसे 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने बाबत निवेदन करते हुए काउन्टर क्लेम डिक्री करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वहस उभयपक्ष अभिभाषकगण पर मनन किया। तनकीवार विवेचन निम्न निम्न प्रकार से है:-

<u>तनकी नम्बर-1</u> :- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड नकल जमाबंदी सं. 2055-58 से यह भली भांति जाहिर है कि विवादित आराजी वादीगण तथा प्रतिवादी सं 2 एवं 4 ता 7 के पिता इन्द्राजसिंह की सम्पत्ति है जो पैतृक है। इन्द्राजसिंह की मृत्यु के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 2 एवं 4 ता 7 उसके वारिस है तथा वहैसियत के हिस्सेदार एवं खातेदार काश्तकार है अर्थात प्रत्येक 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रकट होता है। अन्य कोई वारिस इस आराजी प्रकट नहीं हुआ है। अपने हिस्से की आराजी का विभाजन करवाने के अधिकारी भी है। यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।

<u>तनकी नम्बर-2</u> :- इस तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

तनकी नम्बर 1 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 एवं 5 ता 7 का बराबर का हिस्सा तय किया गया है इसलिए वादीगण प्रतिवादी स 5 ता 7 का स्वार्थ विधायक से जबर्न नहीं कर सकते है केवल प्रतिवादी स 8 का ही जबर्न कर सकते है।

तनकी नम्बर-3 - इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 8 पर है। यह तथ्य से मौखिक साक्ष्य एवं वादीगण तथा प्रतिवादी स 4 ता 7 की स्वीकृति से साबित होता है कि प्रतिवादी सं. 8 रामादेवी इन्द्राशिंह के पिता नेकसा की पोती है तथा इन्द्राशिंह की बहन है लेकिन यह तथ्य किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं होता है कि वह विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की हकदार एवं काबिज काश्तकार है। विवादित आराजी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 10/2/92 बाबूलाल बनाम इन्द्राशिंह से इन्द्राशिंह को प्राप्त हुई है यदि रामादेवी को इस आराजी में कोई हिस्सा चाहिये था तो उसे, उक्त निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो उसने नहीं की। जिससे इस निर्णय पर उसकी सहमति प्रकट होती है। यदि आज भी उसको इस जमीन में से हिस्सा चाहिये तो उसे अपने तीनो भाईयो को पक्षकार बनाते हुए दावा करना चाहिये था जो उसने नहीं किया। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह किसी दुराशय से इस प्रकरण में पक्षकार बनी है जो न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी सं. 8 तय की जाती है।

तनकी नम्बर-4 - इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी स. 4,5,7 पर है। इसको साबित करने के लिए कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह दावा O.6 R 5 तथा O.4 R-3 CPC के तहत दोषपूर्ण पाया जावे। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी स 4,5,7 तय की जाती है।

तनकी नम्बर-5 :- इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी स 4,5,7 पर है। प्रस्तुत बयान DW-1, DW-2, एवं DW-3 के अवलोकन से एवं SDO धौलपुर के निर्णय दिनांक 10/2/92 बाबूलाल बनाम इन्द्राशिंह के अवलोकन से यह भली भांति साबित है कि रामादेवी के तीन भाई बाबूलाल, इन्द्राशिंह व जसवन्त है।

तनकी नम्बर-6 :- इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी स 4,5,7 पर है। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड नकल निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमश:---8

दिनांक 10/2/92 बाबूलाल बनाम इन्द्रसिंह व रामसिंह उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के अवलोकन से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि विवादित आराजी उक्त निर्णय से ही विवादित आराजी इन्द्रसिंह के हिस्से व कब्जे में आयी है। यदि प्रतिवादी सं. 8 राजदेवी को इस निर्णय पर कोई आपत्ति होती तो उसे इसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। जिससे इस निर्णय पर उसकी सहमति प्रकट होती है। इसी कारण वह इस निर्णय से पाबन्द भी है। यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी सं 8 तय की जाती है।

तनकी नम्बर-7:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रति० सं 4,5,7 पर है। तनकी नम्बर 6 एवं 3 के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रतिवादी सं 8 का वाद प्रतिवादी सं 1 लगा. 7 के विरुद्ध पोषणीय नहीं है क्योंकि इस आराजी का बटवारा दिनांक 10-2-92 के निर्णय से राजदेवी के भाईयों में पूर्व में ही हो गया है। जिससे रामदेवी का वाद कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। कब्जे के अभाव में काउन्टर क्लेम स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी सं. 8 तय की जाती है। प्रतिवादी का प्रतिवादी के विरुद्ध काउन्टर क्लेम नहीं लाया जा सकता है।

तनकी नम्बर-8:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं 4,5,7 पर है। यह सही है कि प्रतिवादी सं 8 रामदेवी द्वारा वर्ष 2013 में ही प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जब कि यह वाद 2012 से चल रहा है। जिससे यह साफ जाता है कि वाद कारण रामदेवी के लिए 2013 में ही उत्पन्न हुआ है। जिसमें वादीगण या अन्य के साथ दुरभि सन्धि भी हो सकती है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी सं-8 रामदेवी स्वच्छ हाथों से नहीं आयी है इसलिए वह वादपत्र को हैरान करने एवं वादी व प्रतिवादी को परेशान करने की नीयत रखती है से आयी है। इसलिए वह विवादित आराजी में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

तनकी नम्बर-9:- तनकी नम्बर 8 के विवेचनार्थ तनकी नम्बर 8 विवेचन भी निहित है। इसलिए यह तनकी भी विरुद्ध प्रतिवादी सं 8 तय की जाती है।

तनकी नम्बर-10:- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है दिनांक 19-10-15 को प्रतिवादी सं 6 सरोज ने एक राजीनामा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत किया है। जिसमें सरोज

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

द्वारा विवादित आराजी में निहित अपने समस्त Pre Existing Rights बहक वादीगण तर्क कर, छोड़ करने का कथन किया है तथा कहा है कि उसने इस बाबत जरिए रजिस्ट्री रिलीज डीड विवादित कर दी है। पत्रावली पर रिलीज डीड भी प्रस्तुत कर दी गयी है। इस बाबत दावे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल प्रतिवादी सं 6 के हिस्से को वादीगण के पक्ष जोड़ा जावेगा। अतः यह तनकी इसी प्रकार से तय की जाती है।

11- दादरसी :- उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम दावा आंशिक रूप से डिक्री किया जाना प्रतिवादी सं 5 ता 7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना एवं प्रतिवादी सं. 8 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीगण सं 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं 2 एवं 5 ता 7 को बहिस्सा बराबर का विवादित आराजी ख०नं० 2498 रकबा 17 बिस्वा, 2506 रकबा 0 बीघा 06 बिस्वा 2494 रकबा 0 बीघा, 2495 रकबा 0 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा स्थित ग्राम गढ़ी करीलपुर तहसील राजाखेड़ा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अर्थात प्रत्येक को 1/7 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि प्रतिवादी संख्या 6 सरोज पत्नी रामसेवक द्वारा इस आराजी का अपना हक वादीगण संख्या 1 व 2 के हक में जरिये रिलीज डीड त्याग कर दिया है अतः वादीगण का विवादित आराजी में संयुक्त रूप से 3/7 हिस्सा होगा तथा सरोज का हिस्सा शून्य रहेगा। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादीगण तथा प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राजात दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी सं 8 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

दि: 8/4/2019

(हस्ताक्षर)
(मुकेश कुमार मीणा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)